न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2018-00028RAAJodhpur2018-22RTA223 Rampal Vs Dhannaram etc

रामपाल पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. धन्नाराम फौत के कायम मुकामः–
   1.1. तेजाराम पुत्र श्री धन्नाराम
   1.2. कमा पुत्री श्री धन्नाराम
   1.3. गीता पुत्री श्री धन्नाराम
   जातियान जाट निवासीगण ग्राम खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. श्रीमती मधु पत्नी श्री तेजाराम
3. श्रीमती सोहनी पत्नी श्री रामपाल
   जातियान जाट निवासीगण ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2017 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 09/2015 रामपाल बनाम धनाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाष फड़ौदा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 19 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 09/2025 रामपाल बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1489 रकबा 22 बीघा, खसरा संख्या 1226 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1234 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा 53, 88, 188 एवं 92–ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2017 को वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1489 रकबा 22 बीघा भूमि अपीलांट के दादा स्व. मुकनाराम जी की खातेदारी कब्जासुद भूमि थी। उनके देहान्त पश्चात उनके दोनों पुत्र धन्नाराम व सीताराम को पुश्तैनी सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई। खसरा संख्या 1226 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 1234 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वां जमीन वादी/अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 01 ने सयुंक्त परिवार की आय से खरीद की थी जो वर्तमन में प्रतिवादी सख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट की पैतृक सहदायगी सम्पत्ति है। वादी/अपीलांट के द्वारा वाद पत्र के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज जो वाद को साबित करने हेतु आवश्यक थे, प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त तिथि को जब वादी की जिरह प्रारम्भ हुई तो दौराने जिरह वादी/अपीलांट के अधिवक्ता न्यायालय से चले गये। ऐसी स्थिति में वादी जो कि कम पढ़ा–लिखा व्यक्ति है तथा कानूनी पहलुओं से अनभिज्ञ है, उसने अपने अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जिरह के दौरान लेखबद्ध की गई साक्ष्य पर हस्ताक्षर नहीं किये गये, जिसके कारण माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को रेकर्ड पर नहीं लेकर उक्त शपथ पत्र व जिरह को डी पार्ट में स्खकर वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया। वादी की साक्ष्य डी पार्ट में रखे जाने का किसी भी प्रकार का आदेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को निर्णय के समय नहीं पढ़ कर विधिक भूल कारित की है।

वादी के द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त वाद पत्र को प्रतिवादी संख्या 01 व 04 ने स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति में वाद–पत्र में वर्णित तथ्य प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के द्वारा स्वीकार किये जा चुके थे तो न्यायालय को निर्णय करते समय उक्त स्वीकृति के आधार पर वाद में वर्णित तथ्यों को साबित हुआ माना जाना चाहिए था तथा वादी की जिरह के दौरान लेख–बद्ध की गई साक्ष्य पर यदि वादी के हस्ताक्षर नहीं भी है और उक्त साक्ष्य वादी के द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष सशपथ दी गई है तो उस पर हस्ताक्षर की आवयकता नहीं होती है। सशपथ बयान देना ही पर्याप्त है। मात्र इस आधार पर वादी के साक्ष्य को नहीं मानकर और प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के द्वारा अपने जवाब में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की जो स्वीकृति प्रदान की गई है, उनको नहीं मानकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि एवं वाक्याति भूल कारित की गई है। वादी का वाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ जमाबंदी, बेचाननामा एवं अपना सशपथ शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाबत् जिरह लगभग पूर्ण हो चुकी थी। मात्र आंशिक जिरह शेष रही थी, जो न्यायालय समय तंग होने की वजह से नहीं हो पाई। तत्पश्चात् वादी की साक्ष्य हेतु विचारण न्यायालय के द्वारा तलब नहीं किये जाने से वादी अपनी बकाया जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी की सम्पूर्ण साक्ष्य को ही डी पार्ट में रखकर गम्भीर विधिक व वाक्याती भूल कारित की है और साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रतिवादी संख्या एक की स्वीकारोंक्ति के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने के पश्चात् अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनाक 15.12.2017 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपीलांट खाने–कमाने हेतु राजस्थान राज्य से बाहर गया हुआ होने के कारण तय समयावधि में न्यायालय में उक्त अपील पेश नहीं कर सका। इसलिए अपील प्रस्तुति में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। अपील

प्रस्तुत करने में जो सद्भाविक देरी हुई है, उसे कण्डोन कर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2017 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिषा निर्देषों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया वादग्रस्त आराजी पुष्तैनी एवं सहदायदी की होने के संबंध में वादी/अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में कोई साक्ष्य पेष नहीं किये गये है तथा न ही वादी/अपीलांट द्वारा अपनी साक्ष्य लेखबद्ध करवाने के बाद हस्ताक्षर किये है। प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजीयात को पुष्तैनी मान भी लिया जावे तो अपीलांट द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों/अपनी बहनों का वाद में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया, जिस कारण वादी/अपीलांट का वाद चलने योग्य ही नहीं था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के वाद को साक्ष्य के अभाव में विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेष की गई है, जिसका कोई विधिसम्मत कारण नहीं दर्षाया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपनी पुष्तैनी एवं सहदायगी की भूमि

होना बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या एक जो वादी/अपीलांट के पिता है, की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी द्वारा वाद पत्र मे किये गये कथनों को स्वीकार करते हुए वाद को स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया है। पत्रावली पर उपलब जमाबंदी(खेतट/खतौनी) ग्राम साथीन तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर संवतः 2029–2032(प्रदर्ष–3) के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1489 रकबा 22 बीघा वक्त सेटलमें वादी/अपीलांट के दादा मुकनाराम पिता सिम्भूराम के नाम से दर्ज रही है, जिससे उक्त आराजी अपीलांट की पुष्तैनी आराजी साबित होती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्ष–5ए (एग्रीमेंट) के मुताबिक अपीलांट रामपाल एवं रेस्पोडेंट तेजाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुष्तैनी भूमि बताते हुए आपसी रजामंदी से वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा कर प्रत्येक के हिस्से में 1/2–1/2 भाग भूमि रखा जाना प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादी के लेखबद्ध बयानों की प्रति जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय का यह भी मत है कि वादी द्वारा अपनी बहनों को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय विधिनुसार स्वविवेक से हितबद्ध व्यक्तियों को वाद में पक्षकार संयोजित कर सकता था। पत्रावली पर वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के वाद का गुणावगुंण पर निर्णय न कर केवल वादी द्वारा जिरह पर हस्ताक्षर न करने तथा तथा अदम साक्ष्य में खारिज किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद के खण्डन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 09/2025 रामपाल बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2017 खारिज किये जाते है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि वह मामले में सभी हितबद्ध व्यक्तियों/वादी की

बहनों को पक्षकार संयोजित कर उभय पक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए वाद का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर